

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जनवरी 2011—पौष 17, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2010

क्र. एफ 10-150-2006-तेईस-योआसा.—राज्य शासन द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्वारा बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, —

1. नियम 4 के उपनियम (2) के खण्ड (ख)

निम्नानुसार स्थापित किया जाए अर्थात् “बुन्देलखण्ड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी मा. मंत्रीगण बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण के नामांकित सदस्य होंगे. शेष मा. विधायकों में से एक तिहाई चक्रानुक्रम से राज्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य होंगे.”

No. F. 10-150-2006-XXIII-DES.—According to decision taken by State Government, following amendments are under taken in the Bundelkhand Development Authority Rules 2007 :—

AMENDMENTS

In the above rules, —

1. Rule 4 sub rule (2), Block (B) be replaced as follows :—

“All the ministers who represents the constituencies of Bundelkhand region will be nominated as per members of the Bundelkhand Development Authority. One third of the remaining M.L.A.'s shall be nominated by State Government on the circulation basis.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव.

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, भोपाल

पंचम तल, बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2010

क्र. 3510-मप्रविनिआ-2010.—विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 181(2) (जेडडी) सहपठित धारा 45 एवं 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा “मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभागों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2009 जो दिनांक 22 जनवरी, 2010 को अधिसूचित किया गया था, में निम्न संशोधन करता है :—

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभागों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में प्रथम संशोधन

1. प्रस्तावना.— भारतीय रिजर्व बैंक ने “प्रधान ऋण प्रदाय दर (Prime Lending Rate)” प्रणाली के स्थान पर “आधार दर (Base Rate)” प्रणाली लागू किये जाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अतएव नवीन प्रणाली से संशोधित, वर्तमान विनियमों को संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है।

2. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.— 2.1 ये विनियम “मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभागों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 (प्रथम संशोधन) [AG-35 (i), वर्ष 2010]” कहलायेंगे।

2.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके तत्संबंधी अनुज्ञप्ति-प्राप्त क्षेत्रों में प्रयोज्य होंगे।

2.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावशील होंगे।

3. विनियमों 14 तथा 34 में संशोधन.— “मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभागों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009” की कण्डिकाओं 14.1 तथा 34.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

14. अनुमोदित विद्युत् दर से भिन्न दर पर की गई वसूली.— 14.1 किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, जिसे उपभोक्ताओं से आयोग द्वारा अनुमोदित से अधिक विद्युत् दर (टैरिफ) प्रभारित करते हुए पाया जाएगा, के संबंध में यह माना जाएगा कि उसके द्वारा आयोग के आदेशों का परिपालन नहीं किया गया है तथा उसे अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत तथा अधिनियम के अन्य उपबंधों के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय अन्य किसी दायित्व के बिना किसी पक्षपात के दण्डित किये जाने की पात्रता होगी। ऐसे प्रकरण में जहां वसूल की गई राशि, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि से अधिक हो तो इस प्रकार अधिक वसूल की गई राशि को उपभोक्ताओं को, जिनके द्वारा अधिक राशि का भुगतान किया गया है, उक्त वर्ष हेतु दिनांक 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर (Base Rate) में 4 प्रतिशत जोड़कर के बराबर उक्त अवधि के साधारण ब्याज के साथ, प्रत्यर्पण (refund) किया जाएगा।”

34. कार्यकारी पूंजी पर देय ब्याज प्रभार (Interest Charges on Working Capital).—

34.1 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर जिसकी गणना विनियमों में आगे दर्शाई गई विधि द्वारा की जाना है, मानकीकृत आधार पर की जाएगी तथा इसकी गणना भारतीय स्टेट बैंक की उक्त वर्ष की 1 अप्रैल को प्रयोज्य आधार दर (Base Rate) में 4 प्रतिशत जोड़कर की समतुल्य दर पर की जाएगी। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानकीकृत आधार पर देय होगा, भले ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी बाह्य संस्था से ऋण न भी लिया गया हो अथवा कार्यकारी पूंजीगत ऋण की तुलना में मानकीकृत आधार पर वांछित राशि से अधिक हो गया हो।”

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

Bhopal, the 23 rd December, 2010

No. 3510-MPERC-2010.—In exercise of powers conferred under Section 181(2) (zd) read with Section 45 and 61 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments to the Regulations namely Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of Charges) Regulations 2009 (G-35 of 2009) notified on 22nd January, 2010.

FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (TERMS AND CONDITIONS FOR DETERMINATION OF TARIFF FOR SUPPLY AND WHEELING OF ELECTRICITY AND METHODS AND PRINCIPLES FOR FIXATION OF CHARGES) REGULATIONS, 2009

1. **Short Title and Commencement.**—1.1 These Regulations shall be called “**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of charges) Regulations, 2009 (First Amendment) [AG-35(i) of 2010].**”.

1.2 These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

1.3 These Regulations shall be in force from the date of their publications in the Official Gazette of the Government of Madhya Pradesh.

2. **Amendment to regulations 14 and 34.**—In the MPERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Supply and Wheeling of Electricity and Methods and Principles for Fixation of Charges) Regulations, 2009, the following shall be substituted in Clauses 14.1 and 34.1 namely:—

“**14. Charging of Tariff other than approved.**—14.1 Any Distribution Licensee found to be charging a Tariff different from the one approved by the Commission from the consumers shall be deemed to have not complied with the directions of the Commission and shall be liable to be proceeded against under Section 142 of the Act without prejudice to any other liability becoming due from the Licensee under any other provisions of the Act. In case the amount recovered exceeds the amount allowed by the Commission, the excess amount so recovered shall be refunded to the Consumers who have paid such excess charges, along with simple interest for that period equivalent to the State Bank Base Rate as on 1st of April of that year plus 4.00%.

34. Interest charges on working capital.—34.1 Working capital shall be computed as provided in these Regulations and Rate of interest on working capital shall be equal to the State Bank Base Rate as on 1st of April of that year plus 4.00%. The interest on working capital shall be payable on normative basis notwithstanding that the Licensee has not taken working capital loan from any outside agency or has borrowed in excess of the working capital loan compared to the working capital required on normative basis.”.

By order of the Commission,
P. K. CHATURVEDI, Commission Secy.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्र. 3554-मप्रविनिआ-2010.—विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 181(1) सहपठित धारा 86 (आई) तथा (के) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्वारा दिनांक 13 मई 2005 को अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विनियम परिपालन के प्रतिवेदन की प्रस्तुति बाबत् दिशा-निर्देश) विनियम, 2005 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विनियमन परिपालन के प्रतिवेदन की प्रस्तुति बाबत् दिशा-निर्देश) विनियम, 2005 में प्रथम संशोधन

1. **प्रस्तावना.**—विनियमों की कण्डिका 7.1 में प्रावधान किया गया है कि परिपालन के प्रतिवेदक (Reporter of Compliance) की नियुक्ति अनुज्ञप्तिधारी के सेवानिवृत्त अधिकारियों में से ही की जाएगी. वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आयोग से परिपालन के प्रतिवेदक के रूप में कार्य निष्पादन हेतु एक नियमित अधिकारी को पूर्णकालिक अवधि के आधार पर नियुक्ति अनुज्ञेय किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया है ताकि कम्पनी द्वारा किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को परिपालन के प्रतिवेदक का कार्यभार दिये जाने संबंधी रिक्त पद की पूर्ति की बाध्यता को टाला जा सके. आयोग द्वारा इस विषय पर विचार किया गया है तथा तदनुसार विनियमों में निम्न संशोधन करने का निर्णय लिया गया है.

2. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.—2.1 ये विनियम “मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विनियमन परिपालन के प्रतिवेदन की प्रस्तुति बाबत् दिशा-निर्देश) विनियम, 2005 (प्रथम संशोधन) [AG-23 (i), वर्ष 2010]” कहलायेंगे.

2.2 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा.

2.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होंगे.

3. विनियम 7 में संशोधन.—मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विनियमन परिपालन के प्रतिवेदन की प्रस्तुति बाबत् दिशा-निर्देश) विनियम, 2005 की कण्डिकाओं 7.1, 7.2, 7.3 तथा 7.5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

7. परिपालन प्रतिवेदक.—“7.1 अनुज्ञप्तिधारी “परिपालन प्रतिवेदक” के रूप में एक नियमित सेवारत अधिकारी को नामोद्दिष्ट करेगा, जिसका पद अतिरिक्त मुख्य अभियंता या समकक्ष पद से कम न होगा (जिसका नियमित सेवा में न्यूनतम 25 वर्ष का अनुभव होगा) जिसे पूर्ण रूप से विनियामक परिपालन को प्रतिवेदित किये जाने का उत्तरदायित्व ही सौंपा जाएगा. उपयुक्त सेवारत अधिकारियों की उपलब्धता के अभाव में या अन्यथा, अनुज्ञप्तिधारी किसी भी सेवानिवृत्त अधिकारी को जो प्रचलित अधिनियमों, नियमों, विनियमों तथा कार्य पद्धतियों से भली-भांति परिचित हो तथा जो या तो अनुज्ञप्तिधारी की सेवाओं से अथवा भारत में किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की सेवाओं से, न्यूनतम अतिरिक्त मुख्य अभियंता या समकक्ष पद से निवृत्त हुआ हो, मानदेय के भुगतान द्वारा नियुक्त कर सकेगा.

7.2 अनुज्ञप्तिधारी (गण) उनके द्वारा नामांकित किये गये परिपालन प्रतिवेदक का कार्य क्षेत्र, प्रमुख विशेषज्ञता तथा पूर्व का कार्य अनुभव दर्शाते हुए आयोग के अनुमोदन हेतु निवेदन करेगा/करेंगे.

7.3 यदि प्रस्तावित परिपालन प्रतिवेदक उपरोक्त मानदण्डों की पूर्ति करता/करती है तो आयोग उसकी नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान करेगा.

7.5 “परिपालन प्रतिवेदक” प्रत्यक्ष तौर पर अनुज्ञप्तिधारी के अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक के प्रति उत्तरदायी होगा/होगी तथा अनुज्ञप्तिधारी के विभिन्न मैदानी कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदनों के अंकेक्षण तथा प्रमाणित किये जाने हेतु उत्तरदायी होगा/होगी. वह यह भी सुनिश्चित करेगा/करेगी कि विनियामक प्रतिपालन प्रतिवेदन में आयोग द्वारा विभिन्न विनियमों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन संबंधी समस्त मुद्दों को शामिल कर लिया गया है. वह विशिष्ट रूप से प्रतिवेदन में उन विषयों को उजागर करेगा/करेगी जिनमें अनुज्ञप्तिधारी तथा आयोग द्वारा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है. वह प्रतिवेदन अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से आयोग को प्रस्तुत करेगा/करेगी.”

4. विनियम 7 में संशोधन.—विद्यमान कण्डिका 7.4 को विलोपित किया जाएगा.

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

Bhopal, Dated 27th December 2010

No. 3554-MPERC-2010.—In exercise of powers conferred under Section 181 (1) read with Section 86 (i) and (k) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and all powers enabling it in that behalf, Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in MPERC (Guidelines for Reporting of regulatory Compliance) Regulations, 2005 notified on 13th May, 2005:—

FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(GUIDELINES FOR REPORTING OF REGULATORY COMPLIANCE) REGULATIONS, 2005

1. **Preamble.**—The Clause 7.1 of the Regulations provides for appointment of Reporter of Compliance only from the Retired Officers of the Licensee. The Distribution Licensees made a request to the Commission for allowing a regular Officer also to act as Reporter of Compliance on a full time basis to avoid an obligation on the Company

to fulfil a position by giving charge of Reporter of Compliance to retired Officer only. The Commission has considered the matter and has accordingly decided to make the following amendments to the Regulations.

2. **Short title and commencement.**—2.1 These Regulations shall be called “**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Reporting of Regulatory Compliance) Regulations, 2005 (First Amendment) [AG—23 (i) of 2010]**”.

2.2 These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

2.3 These Regulations shall come in force from the date of their publication in the Official Gazette of the Government of Madhya Pradesh.

3. **Amendment to Regulation 7.**—In the **Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Reporting of Regulatory Compliance) Regulations, 2005, Clauses 7.1, 7.2, 7.3 and 7.5** shall be substituted as follows, namely:—

7. **Reporter of Compliance.**—“7.1 The Licensee shall designate a regular serving Officer not below the rank of Additional Chief Engineer or equivalent (having experience of atleast 25 years of regular service) as “Reporter of compliance” who should be exclusively entrusted with the responsibility of reporting regulatory compliance. In case of shortage of suitable serving Officers or otherwise, the Licensee may appoint any of the retired Officer, who is well conversant of the prevailing Acts, rules, regulations and practices, either retired from services of the Licensee or from the services of any other Licensee in India at rank not below the rank of Additional Chief Engineer or equivalent on payment of an honorarium.

7.2 The Licensee (s) shall make a submission to the Commission for approval of their nominated Reporter of Compliance providing details of the Reporter of Compliance’s field of work, core expertise and past experience.

7.3 If the proposed Reporter of Compliance meets the above criteria, the Commission will give approval to his/her appointment.

7.5 The “Reporter of compliance” shall report directly to the CMD of the Licensee and shall be responsible for auditing and authenticating reports received from various Field Offices of the Licensee. He/she shall ensure that the Regulatory Compliance Report covers all the issues pertaining to implementation of directives of various regulations issued by the Commission. He/she shall specifically bring out issues in the report, which need attention of the Licensee and Commission. He/she shall put up the report before the Licensee for further submission to the Commission.”

4. **Amendment to Regulation 7.**—The existing **Clause 7.4** shall be deleted.

By order of the Commission,
P. K. CHATURVEDI, Commission Secy.